



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001

ई मेल : registrar@durguniversity.ac.in

वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359100

क्र. Q / प्रवेश / 2020

दुर्ग, दिनांक 30.09.2020

// अधिसूचना //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटलनगर के पत्र क्रमांक 706 / 149 / आउशि / सम. / 2020 नवा रायपुर अटल दिनांक 30.09.2020 द्वारा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति एवं छात्रहित में सीट रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश मार्गदर्शिका के बिन्दु क्रमांक 22 में संशोधन करते हुए दिनांक 15.10.2020 तक प्राचार्य स्तर से एवं 22.10.2020 तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश दिये जाने हेतु प्रवेश तिथि में वृद्धि की अनुमति प्रदान की गई है, इसी के तारतम्य में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्र-छात्राओं के ऑनलाईन पद्धति से प्रवेश फार्म भरने की में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:-

क्र.	विवरण	पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि	संशोधित अंतिम तिथि
01	प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि	30.09.2020	15.10.2020

- टीप:- 1. कुलपति महोदया की अनुमति से 22.10.2020 तक प्रवेश की अनुमति होगी।
2. शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय

पृ.क्र. Q-1 / प्रवेश / 2020

दुर्ग, दिनांक 30.09.2020

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़।
- सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
- अधिष्ठाता छात्र कल्याण/वित्त अधिकारी/उ.कु.स. परीक्षा/अकादमिक/गोपनीय एवं संबंधित प्रवेश कार्य सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
- प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
- संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाएं दुर्ग/बेमेतरा/राजनांदगांव/कबीरधाम/बालोद को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्रों के आगामी अंक में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 706 / 149 / आउशि / सम. / 2020
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30-9-20

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :-

छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तिथि में वृद्धि बाबत।

संदर्भ :-

अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30.09.2020।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश की अनुमति तिथि में संशोधन किया गया है। तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. एच.एस.कर)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक.....

30-9-20

पृ.क्रमांक 707 / 149 / आउशि / सम. / 2020

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर /दुर्ग की ओर सूचनार्थ।



अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
email : higher-education@cg.gov.in
-----0000-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2
प्रति

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.09.2020


आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंदायती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में सत्र 2020-21 हेतु जारी प्रवेश
मार्गदर्शिका में प्रवेश की अनुमति हेतु तिथि में वृद्धि ।
संदर्भ :- आपका ज्ञापन क्र. 699/149/आउशि/सम./2020, दि. 29.09.2020

इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29.06.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के
शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2 कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति एवं छात्रहित में सीट रिक्त रहने की स्थिति
में संदर्भित ज्ञापन में निहित प्रस्तावनुसार उक्त प्रवेश मार्गदर्शिका के विंदु क्रमांक 22 में
सशोधन करते हुए, राज्य शासन, दिनांक 15.10.2020 तक प्राचार्य स्तर से एवं 22.10.2020
तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश दिये जाने हेतु प्रवेश तिथि में वृद्धि करने की अनुमति
प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सरोज उईके)
अवर सचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग